अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु नियम एवं शर्तें

सत्र 2009–10 हेतु योग शिक्षा के प्रशिक्षण के संबंध में निम्नांकित नियमों व शर्तो के आधार पर पर विशिष्ट अभिरूचित रखने वाली संस्थाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है–

1. सत्र 2009–10 हेतु जिला स्तरीय योग प्रशिक्षण के अंतर्गत विद्यालयों में अध्यापनरत हाई/हायर सेकेण्ड्री के शिक्षकों/व्याख्याताओं को योग प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक जिले से 120 प्रतिभागियों को 40–40 के समूह में तीन चरणों में प्रशिक्षित किया जाना होगा।
2. आवेदित योग संस्थाओं को कम से कम 03 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रशिक्षण का प्रत्येक चरण 08 दिवस का होगा। प्रशिक्षण अवधि में योगाचार्यो कोअवकाश की पात्रता नहीं होगी।
4. प्रतिदिन प्रातः षट्कर्म के पश्चात् आसन व प्राणायाम होंगे। द्वितीय सत्र में सैद्धांतिक विषयों पर चर्चा होगी। प्रशिक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित होगा।
5. दिन के सत्र में भोजन के पश्चात् साहित्यिक, कलाप्रदर्शन तथा रात्रिकालीन सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनिश्चित होगा।
6. प्रत्येक चरण में चौथे दिवस के पश्चात् प्रशिक्षार्थियों का एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण होगा।
7. प्रत्येक चरण में आये प्रतिभागियों को टी.ए./डी.ए. का भुगतान निर्धारित नियमानुसार देय होगा।
8. प्रशिक्षण में मूल्य शिक्षा व शांति शिक्षा के भी कालखण्ड होंगे।
9. एक प्रशिक्षण में कम से कम 02 प्रशिक्षक (योगाचार्य) होंगे। जिसका प्रतिदिवस प्रति सदस्यों (अशासकीय सदस्य) का मानदेय 400=00 (रुपये चार सौ मात्र) शासकीय नियमानुसार देय होगा।
10. चयनित संस्थान को परिषद् में आसन/प्राणायाम/यौगिक क्रियाओं/मुद्राओं का प्रदर्शन पाठ्यक्रम के अनुसार करना होगा।
11. जिला स्तरीय योग प्रशिक्षण हेतु आवेदित योग संस्थान पंजीकृत होगा, तथा प्रशिक्षण स्थल चयनित योग संस्थान या योगाश्रम में होगा।
12. यह प्रशिक्षण पूर्णतः आवसीय होगा। प्रशिक्षण हेतु समय विभागचक्र परिषद् द्वारा प्रदान किया जावेगा।

13. प्रतिभागियों व प्रशिक्षकों के भोजन एवं आवास की व्यवस्था चयनित योग संस्थान में होगी। जिसका व्यय एस.एस.ए. के नामर्स के अनुसार सुनिश्चित होगा।

14. प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने की शिकायत पर अनुबंध निरस्त किया जावेगा।

15. प्रशिक्षण हेतु विशिष्ट अभिरूचि रखने वाली संस्था दिनांक 27.07.09 समय दोपहर 2:00 बजे तक200=00 (रूपये दो सौ मात्र) का क्रास्डबैंक ड्राफ्ट के साथ संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर के नाम पर जमा करना होगा।

16. चयनित योग संस्थान में प्रशिक्षण की मानीटरिंग परिषद् द्वारा किया जावेगा।

17. चयनित योग संस्थान को निर्धारित नियमों व शर्तो के अनुसार प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षण की चरणवार तिथि परिषद् से प्राप्त करना होगा।

18. संस्थाओं से प्राप्त आवेदन दिनांक 27.07.09 को दोपहर 3:00 बजे परिषद् में खोला जायेगा।

नंदकुमार
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर, छ.ग.

"योग प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र"

सत्र 2009-10

1. आवेदक/संचालक योग संस्थान का नाम एवं पता (फोन नम्बर सहित) . . . .
. . . .
. . . .
2. आवेदित योग संस्थान/योगाश्रम का नाम एवं पता (फोन नम्बर सहित) . . . .
. . . .
. . . .
3. योग संस्थान/योगाश्रम का योग प्रशिक्षण में अनुभव वर्ष . . . .
. . . .
4. प्रशिक्षण हेतु योगाचार्यो (प्रशिक्षकों) के नाम की सूची (योग्यता एवं कार्यनुभव सहित) संलग्न करें-.
. . . .
. . . .
5. योग संस्थान/योगाश्रम की विशिष्ट उपलब्धि . . . .
. . . .
. . . .
6. प्रशिक्षण देने की कौन सी पद्धति होगी उल्लेख करें- . . . .
. . . .
. . . .

आवेदक का हस्ताक्षर

पूरा नाम . . . .

पता . . . .

दिनांक . . . .

टिप :- इस आवेदन पत्र को संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर रायपुर को समस्त सहपत्रों सहित प्रेषित करें।